प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –422 / 2023
अनवान : –

1. लिचछु पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. पतराम पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. मालाराम पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर ।
3. जगदीश पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर।।
4. सावित्री पुत्री पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 31/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 159 / 158 की कुल 30.3630 हैक्ट भूमि में से 7229 / 10210 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 271 / 262 की कुल 12.1270 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी स0 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गयी है उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी की बहिन है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 271 / 262 की कुल 12.1270 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 2 ता [illegible] काबिज है तथा रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 159 / 158 की कुल 30.3630 हैक्ट भूमि में से 7229 / 10210 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 के यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 159/158 की कुल 30.3630 हैक्ट भूमि में से 7229/10210 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 271/262 की कुल 12.1270 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ने अन्य कृषि भूमि होना स्वीकार किया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 271/262 की कुल 12.1270 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीनन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:30 IST
Reason: SelfAttested

करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नीमला

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –422 / 2023
अनवान : –

1. लिचछु पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. पतराम पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. मालाराम पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर ।
3. जगदीश पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर।।
4. सावित्री पुत्री पतराम जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 176 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 271 / 262 की कुल 12.1270 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:30 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नीमला